प्रेषक,

विनय आर्या,
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर।

प्रापक,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/पदेन सदस्य,
जनपद मीराजपुर।

पत्र सं0 386/जि.वि.से.प्रा.–पीएलए–मीरजापुर/2024 दिनांक 29/7/24

विषयः– 16 विभिन्न जनपदों में स्थित स्थायी लोक अदालत में चेयरमैन की नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे जाने के सम्बन्ध में।

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) अवगत कराना है कि विभिन्न जनपद कमशः कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, श्रवास्ती, सहारनपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, महराजगंज, शाहजहॉपुर, सुल्तानपुर, बागपथ, जी.बी.नगर, बुलन्दशहर, बस्ती, उन्नाव, प्रतापगढ़ हरदोई जनपद में स्थित स्थायी लोक अदालत में चेयरमैन पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाने का प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निम्नांकित निःशुल्क सूचना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न सोलह जनपदों में स्थित स्थाई लोक अदालत में चेयरमैन के रिक्त पद हेतु

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र सं0 1993/एसएलएसए–11/2023 दिनांकित 21 जून 2023 के अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित) की धारा–22बी के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं–(यथा परिवहन सेवाये, डाक तार सेवायें व टेलीफोन सेवायें, विद्युत, पानी की आपूर्ति हेतु सेवायें, अस्पताल/बीमा/डिस्पेन्सरी सम्बन्धी सेवायें व सार्वजनिक स्वच्छता सम्बन्धि सेवाये आदि) में निराकरण के लिए स्थायी लोक अदालत में चेयरमैन पद पर नियुक्ति हेतु विभिन्न जनपद कमश कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, श्रवास्ती, सहारनपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, महराजगंज, शाहजहॉपुर, सुल्तानपुर, बागपथ, जी.बी.नगर, बुलन्दशहर, बस्ती, उन्नाव, प्रतापगढ़ हरदोई के लिए पात्रता के आधार पर आवेदन पत्र दिनांक 31–08–2024 तक आमंत्रित किये गये है।

नियम एवं शर्ते

1. एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है, जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया हो, वह स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होगा।
2. आवेदक को तिथि से दो वर्ष से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए।
3. कार्यकाल की अवधि 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।
4. चयनित आवेदक अपने न्यायिक कार्यालय के कार्यकाल के अभी भी विद्यमान होने के आधार पर प्रस्तावित पोस्टिंग के स्थान पर शामिल होन के लिए समय के विस्तार का हकदार नहीं होगा। उन्हें नियुक्ति की तारीख पर या उसके पहले अपने न्यायिक कार्यालय से इस्तीफा देने के पश्चात्
5. जिन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और/या सतर्कता जांच लंबित है या जिन्हे दंडित किया गया है, उन्हे विचार क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है।
6. अध्यक्ष के पद पर चयन साक्षात्कार, सेव रिकॉर्ड, गोपनीय टिप्पणियों, उसके चरित्र, सामान्य आचरण और प्रतिष्ठा के आधार पर योग्यता के आधार पर होगा। चयन समिति साक्षात्कार के आधार उमेदवार की उपयुक्ता और/या फिटनेस का फैसला करेगी। चयन समिति उम्मीदवार की उयुक्तता तय करने के लिए भी अधिकृत है। उम्मीदवार के सेवा रिकॉर्ड, उसके चरित्र, समान्य आचरण और प्रतिष्ठा सहित सभी दस्तावेजों की जांच और या मूल्याकंन के आधार पर होगा।
7. ऐसे व्यक्तियों के इस्तीफे और निष्कासन सहित स्थायी लोक अदालतों (पीएलए) के अध्यक्षों की सेवा के नियम और शर्ते अधिसूचना एफ.ओ.ए.–60011/31/2021–एडमिन(एलए) दिनांक 02 जनवरी 2003 में उल्लिलिखत शर्तो द्वारा शासित होगी।
8. नियुक्ति से पहले अध्यक्ष को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
9. अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुमोदन से प्रशासनिक आधार/आवश्यकता और/या सार्वजनिक हित पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।

10. The Chairpersons shall be entitled to receive the salary et. as per G.O. Nos: 197/Saat-nyay-7-2008-47/2002, dated 26-03-2008; 827/Saat-nyay-7-2014-47/2022, dated 18-11-2014 and 02/2018/6611/Saat-nyay-7-2018-47/2022, dated 30-01-2018 and the eligibility criteria under section 22 B (2) (a) of the Legal Services Authorities Act, 1987 wich is as followes :- अन्तिरम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता"।

11. पात्र आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करेगें और उसे उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ के आधिकारक पते पर भेजेगें और किसी भी समस्या/मामलें मे जानकारी प्राप्त करने के लिए यू.पी.एस.एल.एस.ए के दूरभाष नं0 0522–2286395 पर सम्पर्क कर सकते है।

12. साक्षात्कार की तारीख आवेदक को व्यक्तिगत व्हाट्सएप अथवा ई–मेल पर सूचित किया जायेगा।

13. आवेदन पत्र में उम्मीदवार के हस्ताक्षर और उसके द्वारा की गई घोषणा अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा या उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14. आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31–08–2024 शाम 05.00 बजे तक उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में जमा किया जायेगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. अधिक जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दूरभाष नम्बर 0522–2286395 एवं ववेसाई **www.upslsa.up.nic.in** अथवा ई–मेल **upslsa@nic.in** जनपद न्यायालय मीरजापुर के वेवसाइट **https//districts.ecourts.gov.in/mirzapur** के वेवसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और

(विनय आर्या)
अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मीरजापुर।

प्रतिलिपि :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को इस आशय से प्रेषित की कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. श्रीमान् नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन प्रारूप को न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित सिस्टम आफीसर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
5. अध्यक्ष/सचिव डिस्ट्रीक्ट बार एसोसियेशन मीरजापुर को बार के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

(विनय आर्या) 29/8/24
अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मीरजापुर।